सं०सं०–03 / परी०–BTSC(अधि०)01–02 / 2025 2918 पटना, दिनांक:– 08/09/2026

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–24 / 2025 (ट्यूटर (नर्सिंग))

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में ट्यूटर (नर्सिंग) के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–24 / 2025 के अन्तर्गत **दिनांक–22.08.2025** को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के परीक्षा का अंक आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in** पर प्रकाशित कर दिया गया है।

Computer Based Test में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, कुल पदों की संख्या से अधिक होने के कारण शैक्षिणक अर्हता, कार्यानुभव एवं कोटि के दावा के बिन्दु पर Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्त्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के द्वारा Online आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्रों के आधार पर **विज्ञापन की कंडिका–5(i)** में अंकित प्रावधान के अनुसार कोटिवार मेधाक्रम में तथा कार्यानुभव / दिव्यांगता / स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का Scrutiny किया गया। सम्प्रति अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal** पर **दिनांक–09.09.2026 से 15.09.2026 के अपराह्न 06:00 बजे तक** आपत्ति (यदि हो) आमंत्रित किया जाता है।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावा के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित होगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल / निबंधित डाक / कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, अंक पत्र एवं निबंधन प्रमाण–पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रविष्टि सहित) नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका–1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र (यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र) दिनांक–**01.08.2025** तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
4. विज्ञापन के कंडिका–5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**04.07.2025** तक की गई है।
5. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका–5(iii) एवं कंडिका–7 के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशियलिटी

अस्पतालों/संस्थानों के निदेशक तथा नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान (ए०एन०एम० स्कूल, जी०एन०एम० संस्थान तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज) के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने, बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि) नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों का नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।

(i) सामुदायिक नर्स केस प्रबंधक/स्टाफ नर्स (APHC)/सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)/स्टाफ नर्स/नर्स 'ग्रेड ए' आदि विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को ट्यूटर (नर्सिंग) के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है, उक्त स्थिति में अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए कार्यानुभव की अधिमानता का लाभ नहीं दिया गया है।

(ii) वैसे अभ्यर्थियों, जो स्टाफ नर्स/नर्स 'ग्रेड ए' आदि विभिन्न पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त हैं; वैसे कर्मियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर ट्यूटर (नर्सिंग) का कार्य किये जाने के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए कार्यानुभव की अधिमानता का लाभ नहीं दिया गया है।

(iii) बाह्य सेवा प्रदाता एवं निजी संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव की अधिमानता का लाभ नहीं दिया गया है।

6. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा–जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का (EWS) प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध माना गया है।
8. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
9. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
10. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
11. महिला एवं दिव्यांगता आरक्षण केवल बिहार राज्य मूल निवासी अभ्यर्थियों को देय है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों (महिला एवं दिव्यांग सहित) को अनारक्षित श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई की गई है।
12. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आयोग द्वारा किए गए दिव्यांगता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दिव्यांगता का दावा मान्य/अमान्य किया गया है।
13. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– 1. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।**

8/9/26

अपर सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।